संख्या–527/पु0आ0आ0/उ0प्र0 [illegible]

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल
पुनर्गठन आयुक्त
उत्तरांचल शासन
लखनऊ

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन
सचिवालय
देहरादून ।

लखनऊ दिनांक 05 मई 2001

विषय: राज्य सेवा संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया [illegible] व्यवस्था ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विभिन्न राज्य सेवा संवर्गों के अधिकारियों व कर्मचारियों के [illegible] उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य सम्यक आवंटन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति का गठन श्री जी एन मेहरा की अध्यक्षता में की गयी है । समिति की प्रथम बैठक दिनांक [illegible] 04.2001 को नई दिल्ली में हुई थी ।

2. भारत सरकार के द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी निर्देशों के अन्तर्गत उत्तरांचल [illegible] निम्नलिखित सेवा संवर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्तरांचल राज्य के लिए आवंटित किया जायेगा ।

1– ऐसे कर्मी जो ऐसे संवर्ग से हैं जिनके नियुक्ति प्राधिकारी उत्तरांचल के 13 जनपदों के कोई जिला स्तरीय अधिकारी हैं ।

2– ऐसे कर्मी जो ऐसे संवर्ग के हैं जिनके नियुक्ति प्राधिकारी कुमाऊं अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डल स्तरीय अधिकारी हैं ।

3– ऐसे कर्मी जो ऐसे परियोजना/संस्थान संवर्ग से सम्बन्ध रखते हैं जिनका [illegible] क्षेत्र पूर्ण रूप से उत्तरांचल राज्य के भीतर है ।

4– पर्वतीय उपसंवर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारी ।

3. उक्त से स्पष्ट होगा कि उपरोक्त चारों श्रेणी के कर्मियों को उत्तरांचल [illegible] लिये ही आवंटित माना जायेगा तथा उत्तर प्रदेश के लिये कार्यमुक्त नहीं [illegible] जाना है ।

4. अतः केवल निम्न श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ही निम्नलिखित [illegible] एवं व्यवस्था के अनुसार कार्यमुक्त किया जायेगा –

(क) वे समस्त कर्मी जो किसी स्थानीय अथवा पर्वतीय उपसंवर्ग के सदस्य नहीं [illegible] जिन्होंने उत्तरांचल राज्य में आवंटन के लिये विकल्प नहीं दिया है । इस [illegible] वे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हैं जो ग्राम, तहसील, जिला, मण्डल [illegible] पर्वतीय उपसंवर्ग के सदस्य नहीं हैं तथा जिनकी सेवायें सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश [illegible] स्थानान्तरणीय है तथा जिनकी संयुक्त वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर निर्धारित [illegible] जाती है और जिनके द्वारा उत्तरांचल राज्य में आवंटन हेतु विकल्प नहीं [illegible] गया है ।

(ख) उत्तरांचल में स्थित स्थानीय परियोजना में तैनात ऐसे कर्मी जो [illegible] परियोजना–संवर्ग के सदस्य नहीं हैं वरन् राज्य सेवा संवर्ग से हैं तथा [illegible] सेवायें सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरणीय हैं तथा जिनकी संयुक्त वरिष्ठता [illegible] राज्य स्तर पर निर्धारित की जाती है ।

5. उत्तरांचल के समस्त विभागाध्यक्षों के द्वारा ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों [illegible] चिन्हित करके उनकी संवर्गवार पृथक–पृथक सूची संलग्न प्रारूप में [illegible] सत्यापित करके अपने प्रशासकीय विभाग को प्रेषित की जायेगी । [illegible] प्रशासकीय विभाग के द्वारा उक्त सूची का परीक्षण करने के उपरान्त [illegible] आयुक्त, उत्तरांचल, लखनऊ को इस संस्तुति के साथ प्रेषित की जायेगी कि [illegible] के सम्बन्धित कर्मियों को राज्य परामर्शीय समिति के द्वारा उत्तरांचल [illegible] प्रदेश के लिये कार्यमुक्त करने हेतु निर्देशित किया जाय । पुनर्गठन [illegible] उत्तरांचल के द्वारा सदस्य–सचिव, राज्य परामर्शीय समिति, जिन्हें समिति [illegible] उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश में तैनात कर्मियों को अवमुक्त करने हेतु अधिकृत [illegible] गया है, को सूची प्रस्तुत करके अवमुक्त करने का अनुरोध किया [illegible] सदस्य– सचिव राज्य परामर्शीय समिति के द्वारा पुनर्गठन आयुक्त से [illegible] करके कार्यमुक्त करने हेतु समुचित निर्देश समिति की ओर से जारी किये [illegible] जिसे पुनर्गठन आयुक्त के माध्यम से उत्तरांचल के विभागों को अनुपालन [illegible] प्रेषित किये जायेंगे ।

6. उत्तरांचल के समस्त विभागों के द्वारा राज्य परामर्शीय समिति के निर्देशानुसार सूची के कर्मियों को उत्तर प्रदेश के लिये विधिवत कार्यमुक्त किया जायेगा [illegible] कार्यमुक्त करने के आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित प्रशासकीय [illegible] सदस्य–सचिव राज्य परामर्शीय समिति एवं पुनर्गठन आयुक्त को प्रेषित की [illegible]

7. उत्तरांचल के लिये विकल्प देने वाले मैदानी संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मियों को भी कार्यमुक्त करने से पूर्व सदस्य–सचिव राज्य परामर्शीय समिति [illegible] पुनर्गठन आयुक्त उत्तरांचल से परामर्श किया जायेगा, तदोपरान्त, समिति से कर्मियों को कार्यमुक्त करने का [illegible] प्रदान किया जायेगा । [illegible]

उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित प्रशासकीय-विभाग के द्वारा कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किये जायेगें ।

8. अतः कृपया उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश के लिये विकल्प देने वाले उपरोक्त श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पूर्व उक्त प्रक्रिया एवं व्यवस्था के अनुरूप पुर्नगठन आयुक्त, उत्तरांचल को प्रमाणित संवर्गवार सूची सहित सम्पर्क प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार कर्मियों को कार्यमुक्त करने हेतु समिति से आदेश पारित कराये जा सकें ।

9. यह परिपत्र सदस्य–सचिव, राज्य परामर्शीय समिति की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

(नृप–सिंह नपलच्याल)
पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल

संलग्नकः उपरोक्तानुसार ।

संख्याः (27) पु0आ0उ0/रा.प.स./2001 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2– सचिव, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन उत्तरांचल शासन देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3– सदस्य–सचिव राज्य परामर्शीय समिति उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल विकास भवन सप्रू लखनऊ को सूचनार्थ ।
4– सचिव, उत्तरांचल समन्वय विभाग, उ0प्र0 शासन सचिवालय लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नृप–सिंह नपलच्याल)

MIL 794

विकल्प के आधार पर अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश को आवंटित किये गये/किये जाने वाले
अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

(कार्यमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव)

विभाग

संवर्ग

विभागाध्यक्ष

क्रम सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम/ग्रेड	वेतनमान
1	2	3	4

प्रमाणक—

प्रमाणित किया जाता है कि सूची के उक्त कर्मी स्थानीय/पर्वतीय उप संवर्ग के सदस्य नहीं हैं तथा इनकी सेवायें सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरणीय हैं एवं इन्होंने उत्तराखण्ड के लिये विकल्प नहीं दिया है ।

हस्ताक्षर
विभागाध्यक्ष
दिनांक

हस्ताक्षर
प्रमुख सचिव/सचिव
दिनांक

0505010002-Pdf